न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खेरवाड़ा
जिला–उदयपुर(राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी
प्रकरण संख्या–
18/2018 रा0 वा0

श्री जवाहर राम चौधरी (RAS)
दायर दिनांक–01.06.2018
निर्णय दिनांक–28.05.2024

1.श्री नानालाल पिता मेघा,जाति–मीणा निवासी–झुथरी, पटवार सर्कल जवास, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर (राज0)।

क.स. 1 से 03 तक

(वादीगण)

बनाम

1.श्री शान्तिलाल पिता मेघा जाति मीणा निवासी–झुथरी, पटवार सर्कल जवास, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर (राज0)।

क.स. 1 से 2 तक

(प्रतिवादीगण)

कार्यवाही अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1956

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली हमने विचाराधीन पत्रावली व पत्रावली पर मौजूद अभिलेखों का आद्योपांत अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद–पत्र के अनुसार मोजा खेतीयाला पटवारी हल्का जवास के संवत 2072–2075 के चौसाले की नया खाता संख्या 241 व 121 में दर्ज भूमि में वादी संख्या 01 अपना राजस्व रेकार्ड में नानालाल के नाम से नामान्तरकरण खुलवाना चाहता है। वादी सं. 01 का नाम नानालाल की जगह नानजी व नाथूलाल भूल–चूक से लिख दिया गया है। अतः वादीगण के खाते में अशुद्ध नाम नानजी व नाथुलाल को शुद्धीकरण कर नानालाल पिता मेघा के नाम से घोषणा कर खाते में शुद्धीकरण कराया जाने हेतु निर्णय डिक्री पारित करावे। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में ग्राम खेतियाला पटवार हल्का जवास तहसील खेरवाडा की संवत 2072–2072 की जमाबंदी नवीन खाता सं. 242 खसरा सं. 3945 क्षे.0.18, खसरा सं. 4005 क्षे. 0.88 तथा खाता सं. 121 ख.स. 5013/3966 क्षे. 1.30 की जमाबंदिया पेश की है, लेकिन वादपत्र में वर्णित मौजा खेतीयाला पटवार हल्का जवास के खाता संख्या(नया) 241 की भूमि के संबंध में वादीगण द्वारा कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया गया। खाता संख्या(नया) 121 में वर्णित भूमि के संबंध में वादीगण द्वारा मात्र एक जमाबंदी के अतिरिक्त कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में किस दस्तावेज के आधार पर दर्ज हुआ है। वादीगण की ओर से अपने वाद में केवल वादी संख्या 01 का ही शपथ–पत्र पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा पेश जवाब में किसी विशेष कथन का उल्लेख नहीं किया गया है।

वादीगण के वाद पत्र के आधार पर 2 तनकी कायम की गई। जिनके संबंध में निष्कर्ष निम्नानुसार है–

(1) तनकी संख्या 01–

वाद–पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा खेतियाला के संवत 2072–2075 की जमाबंदी के खाता संख्या(नया) 241 के संबंध में वादीगण द्वारा कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया गया तथा खाता संख्या(नया) 121 में केवल वादी संख्या 01 ही खातेदार के रूप में दर्ज है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

(2) तनकी संख्या 02–

वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जमाबंद संवत 2072–2075 के खाता संख्या 241 के संबंध में कोई दस्तावेज ही पेश नहीं किए तथा खाता संख्या(नया) 121 के संबंध में केवल एक जमाबंदी ही पेश की है। वादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकार्ड में किस दस्तावेज के आधार पर दर्ज हुआ है, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए। वादी संख्या 01 के अतिरिक्त कोई साक्ष्य–शपथ–पत्र भी पेश नहीं किए गए है। पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

आदेश

वादीगण की ओर से पेश वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का बखूबी साबित नहीं होने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

डिकी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28/05/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा जिला– उदयपुर (राज0)
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner